

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बढकारियाँ ही हमारी उपीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

शिक्षा का अधिकार मानव का सर्वोच्च मूल अधिकार है

‘आई लव मोहम्मद’, ‘आई लव महादेव’ आदि के बेनर्स के नारों से देश में साम्प्रदायिकता की बद्बू फैल रही है। बरेली में हिंसा के बाद महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी हिंसा देखी गई है। ये घटनायें स्पष्ट समाज व धर्म निरपेक्ष देश के लिए बड़े खतरे का सूचक हैं, क्योंकि धर्म का असली मतलब शब्द आचरण का इन्सान बनना और बनाना है। उक्त धर्म उन्मादक नारों के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी का उद्घोष ‘आई लव कॉन्स्टीट्यूशन’, देश की राजनीति में तुफान की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार संविधान तोड़ रही है और वे चुप नहीं बैठेंगे अपितु दंगियों को सजा दिलायेंगे। वस्तुतः ये सारे नारे अर्थहीन हैं और राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के इरादों से किये जान पड़ते हैं।

यह प्रसंग लेखक यहाँ यह राहुल गांधी के नारे ‘आई लव कॉन्स्टीट्यूशन’ की ओर इस कथन के साथ

कर रहा है कि भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी का शासन रहा, सभी ने संविधान की अवज्ञा की है और वह भी राजनीतिक वोटों के लालच के कारण। वस्तुतः उन्हें साहस के कहना चाहिये, उन्हें भारत के संविधान पर गर्व है। लेख के माध्यम से लेखक कई उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता है कि राजनीतिक पार्टियों ने संविधान की अवज्ञा किस प्रकार की है। इस लेख का विषय ‘शिक्षा के मूल अधिकार’ से सम्बन्ध रखता है।

शिक्षा का मूल अधिकार

लेखक का दृढ़ विश्वास है कि हमारा संविधान संसार के विधानों में श्रेष्ठ है। हमें उसकी धार्मिक ग्रन्थ गीता, कुरान, बाईबिल आदि के समान

श्रद्धा भाव से पालना करनी चाहिये और उस पर आचरण भी। प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों तथा निर्माताओं के आदर्श, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है।

शिक्षा के मूल अधिकार को हमें संविधान, मानव अधिकार व इन्टरनेशनल कॉवनेन्ट ऑन इकोनोमी, सोशल व कल्चरल राइट्स, 1966 की अन्तर्राष्ट्रीय संधि तथा लॉ कमीशन ऑफ इण्डिया की सिफारिश व माननीय सर्वोच्च न्यालया के जस्टिस कुलदीप सिंह के तथा यूनि कृष्णन, जे.पी. व टीएमए पाई के निर्णयों के संदर्भ में समझना होगा। शिक्षा प्रदान करने का पावन व प्राइम कर्त्तव्य राज्य का है। और इसके बाद प्राइवेट स्कूलों की सेकण्डरी ड्यूटी है क्योंकि शिक्षा व्यापार न होकर चेरिटी है। प्राइवेट स्कूल तो सरकार के सहयोगी मात्र हैं, क्योंकि सरकार शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है इसलिये प्राइवेट स्कूल उनके भार को चेरिटी के हेतु द्वाे रहे हैं।

शिक्षा का अधिकार मानव का मूल अधिकार है और वह अनुच्छेद 21 से मुखरित होता है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21, 21क व अनुच्छेद 45 से निस्तराित होता है और यही एक मात्र अधिकार है जो संविधान के चेंटर पोल में मूल अधिकार के रूप में आता है। डॉ. अम्बेडकर ने एसेम्बली में संविधान निर्माण के संबंध में घोषणा की थी कि नीति निर्देशन तत्वों को आप इलेक्शन मेनीफेस्टों के रूप में अथवा शो पीस न मायें, ये देश के भविष्य के लिये एडमिनिस्ट्रेशन के लिये आवश्यक है। लॉ कमीशन की सिफारिश थी कि आर्टिकल 45 का दायरा बालकों की 14 वर्ष की आयु से परे, नागरिकों के डेवेलपमेण्ट और उन्हें राज्य की आर्थिक लिमिटेशन से ऊपर ले जाना होगा। राज्य को प्रयत्न करना होगा कि वह सभी स्तर पर शिक्षा प्रदान करे।

अनुच्छेद 21ए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को अधिकार देता है और अनुच्छेद 45, 6 वर्ष तक के बालकों का। यह अधिकार भाग चार में है। अनुच्छेद 45 जैसा 86वें एमेंडमेण्ट से पूर्व में था उसका उद्देश्य था कि 10 वर्ष का अवधि में देश के 14 वर्ष तक के बालक आठवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त कर लें।

टीएमए पाई के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जो प्राइवेट स्कूल, राज्य से को अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं उन पर राज्य का को अंकुश नहीं हो सकता। प्राइवेट शिक्षा संस्थायें फीस लगाने में स्वतंत्र है। फीस का मापदण्ड अच्छी व अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर और अच्छे स्तर की शिक्षा का है। प्राइवेट स्कूल 10 प्रतिशत तक फीस से आय का लाभ अर्जित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एम.ए. पा फाउण्डेशन के केस के निर्णय में यह माना कि शिक्षण संस्था की स्थापना के हेतु दो अधिकारों की आवश्यकता है प्रथम स्कूल में भर्ती का अधिकार और दूसरी उचित फीस का ढाँचा। इसके हेतु 4 सिद्धान्त को आधार माना – (1) शिक्षा व्यापार नहीं है, अपितु चेरिटी का सिद्धान्त पर आधारित है, (2) संस्था की स्वायत्ता, (3) स्वयं आप आकर अपने विवेक से कार्य, (4) सहयोग का सिद्धान्त। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सभी निर्णयों में इसे स्वीकार किया है कि बिना प्राइवेट स्कूल की साझेदारी के शिक्षा के इस अधिकार की सत्यता को साकारता नहीं दी जा सकती।

वर्तमान समय में आर्थिक आधार पर आर्थिक अभाव की बात करना बेमानी है। राजस्थान गैर सरकारी शिक्षा संस्थायें अधिनियम, 1989 के समय तथा सन 2011–12 तक राज्य सरकार 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक वेतन व खर्च के अनुसार 12वीं कक्षा तक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दे रही थी। स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा 12वीं तक थी। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों के चेंप्टर में अर्थ के अभाव की बात इन परिस्थितियों में बेमानी है। चूंकि शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार है और मानव अधिकार का क्रियान्वयन कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। राजस्थान में फ्री शिक्षा का अधिकार 12वीं कक्षा तक के बालकों को प्राप्त हो चुका है। यों शिक्षा अधिनियम, 2009 लागू होने के साथ ही शिक्षा अधिनियम 1989 रिपिल (समाप्त) हो चुका है।

हमारा संविधान व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख करता है। डा. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित युनिवर्सिटी

संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट निर्देश राज्यों को दिये थे कि वे 14 वर्ष के बालकों को

संविधान के लागू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में निःशुल्क व अनिवार्य

शिक्षा देंगे; किन्तु ऐसा नहीं हुआ।

एक्सेक्यूशन कमीशन ने सन् 1948 में शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्तता की बात की थी। कमीशन ने स्पष्ट किया था कि शिक्षा के विकास व विस्तार के हेतु स्टेट का नियंत्रण नहीं रहना चाहिये। ऊँची शिक्षा देना राज्य का कर्त्तव्य व जिम्मेदारी है। स्टेट कंट्रोल व स्टेट अनुदान दोनों अलग-अलग हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज की सफलता का एक मात्र कारण यह रहा है कि वे राज्य के बन्धन से स्वतंत्र रही थी और इस हेतु उन्हें कानून का संरक्षण था। हमारे विद्यालय भी निःसन्देह सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिये। ब्रिटेन के स्कूलों का जो सम्मान बढ़ा है उन्होंने जो यश प्राप्त किया है वह इसी कारण हुआ है प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को सरकारी बन्धन से मुक्त रखा गया है।

मान्यता देने के हेतु किसी भी प्रकार की फीस लेने का को भी प्रावधान न तो 1989 के अधिनियम में है और न 2009 के शिक्षा अधिनियम में ही है। यह भी निर्विवाद कानूनी सिद्धान्त है कि फीस की वसूली में बेमानी है। नियंत्रण का कानून सरकार बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकती। संविधान का अनुच्छेद 265 स्पष्ट है। मान्यता की फीस अथवा कोई भी आरक्षण राशि निजी संस्थाओं से एक्ज्यूक्विटिव निर्देशन के आधार पर नहीं ली जा सकती। यों जब शिक्षा निःशुल्क है तो फीस क्यों? सरकार की इस बाबत जारी की गई विज्ञापियाँ प्रत्यक्षतः अवैध है।

मान्यता शिक्षा की गुणवत्ता के हेतु है, उसे किसी अन्य प्रतिबंध से नहीं जोड़ा जा सकता। टीएमए पाई के केस में यह स्पष्ट निर्देश है।

संविधान में शिक्षा के अधिकार के विषय में अनुच्छेद 45 में संशोधन कर पूर्ववर्ती अनुच्छेद के स्थान पर वर्तमान अनुच्छेद 45, संविधान छियासीवें (86वें) संशोधन अधिनियम, 2002 से दिनांक 01.04.2010 से लागू किया गया और इसी छियासीवें (86वें) संविधान अधिनियम 2002 से दिनांक 01.04.2010 से एक नया अनुच्छेद 21क जोड़ा गया। कृपया ध्यान दें।इस प्रकार अनुच्छेद 45 संशोधन कर तथा अनुच्छेद 21क जोड़कर 6 वर्ष के करोड़ों बालकों का शिक्षा का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। पूर्ववर्ती अनुच्छेद 45 में जहाँ यह व्यवस्था थी कि संविधान लागू होने के समय से अर्थात् 26.1.1950 से 10 वर्ष की अवधि में यानी 25.1.1960 तक 14 वर्ष के बालकों को 8वीं कक्षा तक की शिक्षा आवश्यक और अनिवार्य दी जानी थी, उसे न दिये जाने के पाप पर पर्दा डाल दिया गया, और 6 वर्ष से कम की आयु के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित कर दिया। क्या कल्याणकारी राज्य का यह कदम प्रगतिवादी कहा जा सकता है, उत्तर होगा नहीं। यह कदम कर्त्तव्य पथ से पीछे जाने का है। निराशाजनक है। जैसा ऊपर कहा गया है सभी क्षेत्रों में शिक्षा देने का दायित्व राज्य का है।और शिक्षा मूल (मौलिक) अधिकार है। धन का अभाव है यह कहना 75 साल की आजादी के बाद भारत देश की शान के विपरीत है। नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनकारी है। वर्तमान में मानव अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धान्त व मूल अधिकार व कोई भेद नहीं है। ये सभी मानव अधिकार के प्रारूप है।

संसद ने शिक्षा के अधिकार के अधिनियम, 2009 को पारित किया और लागू किया, इसे आर्टीई के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकारों ने अपने–2 राज्य में नियम बनाये। आर्टीई अधिनियम, 2009 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों पर लागू होता है। इसमें व्यवस्था दी गई है प्रथम क्लास में इन बालकों को शिक्षा हेतु प्रवेश दिया जावेगा। अर्थात् 6 वर्ष पूरे होने पर वह प्रथम कक्षा में शिक्षा हेतु दाखिला लेगा। छः वर्ष से कम आयु के बालकों के हेतु राज्यों ने नये स्कूल खोलने की कोई व्यवस्था नहीं की। किन्तु यह व्यवस्था की कि प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत क्लास की कंपैसिटी की सीटों पर सामाजिक व आर्थिक तथा अशक्त बालकों को पहली क्लास में दाखिला दिया जावेगा। बाद में इस व्यवस्था में यह स्पष्ट किया गया कि प्राइवेट स्कूल 25 प्रतिशत तक की सीटों पर अपने–2 स्कूलों में बालकों को पहली क्लास में प्रवेश देने के स्थान पर स्कूल की शिक्षा की प्रारम्भिक शिक्षा की क्लास में शिक्षा दिला सकते हैं, यह एक प्रशासनिक आदेश था। पहली क्लास शिक्षा दी जाने की व्यवस्था शिक्षा के अधिनियम 2009 में है, उसमें प्रशासनिक आदेश से संशोधन नहीं किया जा सकता है अतः राज्य सरकार का आदेश अवैध है शून्य है और प्रभावहीन है। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में 3 वर्ष पूरे करने पर नर्सरी में प्रवेश दिया जाता है, इसके बाद एलकेजी व यूकेजी क्लासेज होती है। राज्य से समय–2 पर प्रवेश के द्वारा नर्सरी व प्रथम क्लास माना बाद में 25 प्रतिशत शिक्षा के बावत एन्ट्री नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी व प्रथम क्लास भी कर दी। विवाद कोर्ट में पहुँचा वहाँ केवल एन्ट्री नर्सरी व प्रथम क्लास दोनों को ही माना गया। खंडपीठ में अपील (रिट) की गई और स्थगन आदेश से अभी प्रवेश की एन्ट्री नहीं रहेगी, जिसे एकल पीठ ने माना है। आर टी ई अधिनियम, 2009 के अनुसार 25 प्रतिशत सीटों के विद्यार्थी बालकों की शिक्षा का खर्चा राज्य सरकार बर्दश्ट करेगी और इस हेतु राज्य सरकार अपने स्कूल में प्रति बालक पर खर्च होने तक की राशि का भुगतान प्राइवेट स्कूल को करेगी। एकल पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों को फीस के खर्च का भुगतान करेगी। राज्य का कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक एक किलोमीटर पर स्कूल निर्मित करेगा किन्तु इसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी का कन्सेप्ट वहाँ नहीं है। राज्य के स्कूलों की बिल्डिंग, नियमानुसार नहीं है और न वहाँ खेल के मैदान ही हैं।संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट निर्देश राज्यों को दिये थे कि वे 14 वर्ष के बालकों को संविधान के लागू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देंगे; किन्तु ऐसा नहीं हुआ परिणाम यह है कि आज भी हमारे अधिकांश सांसदों व विधायकों को जो कानून बनाते हैं, उन्हें कानून बनाने का पर्याप्त ज्ञान नहीं है कई तो आठवीं कक्षा तक भी नहीं पढ़े हैं। इसका परिणाम है हमारे कई कानून न्याय की तराजू पर फेल हो जाते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। बालकों की शिक्षा को इस दशा को केवल उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय की परमादेश (Mandamus) रिट के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। साथ ही प्रशासनीय आदेशों के विषय में प्रतिषेध (Prohibition) अधिकार पृच्छा (quowarranto) की रिट निकाल कर उन्हें अवैध घोषित किये जावे।

शिक्षा किसी भी स्तर की हो उसे प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है।

–अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राक्षस्थान हाई कोर्ट



कुमार अजय

हम की परिभाषा कभी थोड़ी संकुचित हो सकती है और कभी थोड़ी विस्तृत। जब यह संकुचित हो तो व्यक्ति खुद उसमें शामिल हो सकता है और इसे विस्तृत करें तो परिवार, परिवेश, दोस्तों और पिढियों को इसमें शामिल कर सकते हैं लेकिन कड़वा, मीठा जैसा भी है– सच यही है कि हम अपना किया भुगतते हैं। माथे चाहे नसीब के मढ़ी या मालिक के। मालिक यूँ अच्छा है। फेल हुए तो कर दिया मालिक की मर्जी के नाम तो सारी गिल्टी जाती रही। सफल हुए तो मालिक को श्रेय दिया, सारा घमंड जाता रहा। जिम्मेदारी का बोझ कुछ तो हल्का हुआ। मर लेते वरना इस बोझ को ढो–ढोकरा सच यही है कि सब

ऑटोमेटिक व्यवस्था है। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं, उसी को भुगतते हैं। उसी से सब तय होता है। मालिक भी उसी से तय हुआ है। इसलिए वह अस्तित्वहीन होकर भी अस्तित्व में है। संभवतः मालिक एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं लेकिन एक विचार से ज्यादा कुछ हो भी क्या सकता है।

पढ़ाई अंतिम या एकमात्र सत्य नहीं फिर भी जाने क्यों, जब प्रतिभावान और उर्जवान युवा गिव अप करते हैं तो बड़ा दुःख होता है। यह वो समय नहीं जब आपको घर के हालात में पढ़ाई छोड़नी पड़े। हमारी पीढ़ी या हमसे पहले वालों को पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। अब सामान्य शिक्षा निःशुल्क जैसी है और जितना खर्च है, उसे घरवाले उठा ही लेते हैं। घरवाले नहीं उठा पाएँ तो सरकारी योजनाओं के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके लिए भार उठाने को तैयार मिलते हैं। शर्त केवल यही कि आप खुद तो मेहनत का भार उठाने को तैयार हों। बहुत सारे युवा मेहनत या भीड़ से घबराकर हार मान रहे हैं। पत्थरों को निचोड़कर पानी कर देने की उम्र और यह निराशा! देखकर मन खराब होता है। लेकिन आप कर क्या सकते हैं। बच्चों को लगता है कि कंपीटिशन बहुत है या उन्हें लगता है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा। हो भी सकता

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तुफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़कें ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुःख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाड़ी की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस–पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी ख़ूबसूरत बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी ख़सम कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तुफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़कें ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुःख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाड़ी की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस–पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी ख़ूबसूरत बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी ख़सम कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तुफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़कें ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुःख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाड़ी की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस–पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी ख़ूबसूरत बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी ख़सम कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तुफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़कें ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुःख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाड़ी की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस–पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी ख़ूबसूरत बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी ख़सम कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तुफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़कें ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुःख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाड़ी की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस–पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी ख़ूबसूरत बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी ख़सम कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तुफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़कें ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुःख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाड़ी की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस–पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी ख़ूबसूरत बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी ख़सम कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तुफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़कें ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुःख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाड़ी की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस–पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी ख़ूबसूरत बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी ख़सम कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तुफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़कें ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुःख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाड़ी की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस–पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी ख़ूबसूरत बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी ख़सम कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तुफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़कें ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुःख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाड़ी की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस–पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी ख़ूबसूरत बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी ख़सम कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तुफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़कें ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुःख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाड़ी की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस–पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी ख़ूबसूरत बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी ख़सम कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तुफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़कें ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुःख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाड़ी की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस–पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी ख़ूबसूरत बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी ख़सम कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तुफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़कें ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुःख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाड़ी की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस–पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी ख़ूबसूरत बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी ख़सम कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तुफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़कें ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुःख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाड़ी की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस–पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी ख़ूबसूरत बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी ख़सम कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो

है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर